

प्रारंभिक परीक्षा

विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की पहचान

संदर्भ

नई दिल्ली में "संसद चलो" विरोध प्रदर्शन के दौरान सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों के उपयोग ने पुलिस की पहचान, जवाबदेही और भीड़-नियंत्रण शक्तियों पर चिंताएं बढ़ा दी हैं।

भीड़ नियंत्रण के दौरान पुलिस की पहचान के बारे में

- **विधिक ढांचा:** लोक व्यवस्था और विधिविरुद्ध जमाव भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 द्वारा शासित होते हैं।
- **पहचान:** BNSS में स्पष्ट रूप से यह अनिवार्य नहीं किया गया है कि भीड़-नियंत्रण अभियानों के दौरान पुलिस कर्मियों को नेमप्लेट या वर्दी पहननी चाहिए।
- **न्यायिक स्थिति:** डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों की स्पष्ट रूप से पहचान होनी चाहिए, हालांकि कोई भी कानून विशिष्ट रूप से विरोध प्रदर्शनों में पुलिसिंग के दौरान दृश्यमान पहचान को अनिवार्य नहीं करता है।

इंटरनेट शटडाउन (INTERNET SHUTDOWNS)

संदर्भ

"संसद चलो" विरोध प्रदर्शन के दौरान मध्य दिल्ली के कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था।

इंटरनेट शटडाउन के बारे में

- **परिभाषा:** किसी विशिष्ट क्षेत्र या किसी विशेष आबादी के लिए इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक संचार सेवाओं को दुर्गम या अनुपयोगी बनाने के लिए उनका जानबूझकर किया गया व्यवधान।
- **कानूनी ढांचा:** यह दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 20 और दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 द्वारा शासित है।
- **आधार:** दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 20(2)(b) के तहत, दूरसंचार सेवाओं को केवल सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति में या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में, उस प्रावधान में निर्दिष्ट आधारों पर और लिखित रूप में दर्ज किए गए कारणों के आधार पर ही निलंबित किया जा सकता है।
- **समय सीमा:** दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 के तहत, एक निलंबन आदेश 15 दिनों से अधिक समय तक लागू नहीं रह सकता है।

- **न्यायिक समीक्षा:** शटडाउन आदेशों को उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226) या सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) के समक्ष चुनौती दी जा सकती है।
- **अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020):** सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इंटरनेट शटडाउन वैध, आवश्यक, आनुपातिक, समयबद्ध और सबसे कम प्रतिबंधात्मक उपाय होना चाहिए, जिसके आदेश प्रकाशित किए जाएं और आवधिक समीक्षा के अधीन हों।

समुद्र प्रदक्षिणा

संदर्भ

रक्षा मंत्री ने समुद्र प्रदक्षिणा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

समुद्र प्रदक्षिणा के बारे में

- **प्रकृति:** भारत का पहला त्रि-सेवा अखिल महिला वैश्विक नौकायन अभियान, जो थल सेना, नौसेना और वायु सेना की महिला अधिकारियों को एक साथ लाता है।
- **यात्रा:** भारतीय सेना के नौकायन पोत (IASV) त्रिवेणी पर सवार होकर की गई।

कर्लापाट बॉक्साइट ब्लॉक (KARLAPAT BAUXITE BLOCK)

संदर्भ

कर्लापाट बॉक्साइट ब्लॉक ने वाणिज्यिक विकास के लिए कई प्रमुख भारतीय खनन और धातु कंपनियों का ध्यान आकर्षित किया है।

कर्लापाट बॉक्साइट ब्लॉक के बारे में

- **अवस्थिति:** ओडिशा के कालाहांडी जिले में स्थित एक ग्रीनफील्ड बॉक्साइट खनन ब्लॉक, जहां पहले कोई वाणिज्यिक खनन नहीं हुआ है।
- **औद्योगिक उपयोग:** बॉक्साइट एल्युमीनियम का एकमात्र वाणिज्यिक अयस्क है, जिसका व्यापक रूप से परिवहन, निर्माण, बिजली, रसायन और विनिर्माण में उपयोग किया जाता है।

साल बोरर (साल भेदक कीट)

संदर्भ

मध्य प्रदेश वन विभाग ने एक गंभीर साल बोरर संक्रमण के बाद डिंडोरी जिले में लगभग 1.5 लाख साल के पेड़ों को काटने की मंजूरी मांगी है।

साल बोरर के बारे में

- **वर्गीकरण:** एक भृंग (बीटल) जो कोलियोप्टेरा (Coleoptera) गण और सेराम्बिसाइडे (Cerambycidae) कुल से संबंधित है।

- **प्रकृति:** भारत में साल के जंगलों को प्रभावित करने वाला सबसे विनाशकारी कीटा
- **साल का पेड़:** साल एक प्रमुख पर्णपाती इमारती लकड़ी की प्रजाति है जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश (तराई), झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की मूल निवासी है, और यह अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी के साथ गर्म, आर्द्र जलवायु में पनपती है।

कवाल टाइगर रिजर्व

संदर्भ

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने तेलंगाना में कवाल टाइगर रिजर्व को बाघों की रिकवरी के लिए प्राथमिकता प्राप्त करने वाले स्थल के रूप में पहचाना है।

कवाल टाइगर रिजर्व के बारे में

- **अवस्थिति:** तेलंगाना में गोदावरी नदी (जिसमें पेद्दावागु और कदम जैसी महत्वपूर्ण सहायक नदियां शामिल हैं) के किनारे स्थित है।
- **परिदृश्य:** मध्य भारतीय बाघ परिदृश्य के सबसे दक्षिणी सिरे पर स्थित है, जिसका ताड़ोबा-अंधारी बाघ अभयारण्य (महाराष्ट्र) और इंद्रावती बाघ अभयारण्य (छत्तीसगढ़) के साथ पारिस्थितिक जुड़ाव है।
- **वनस्पति:** मुख्य रूप से सागौन और बांस वाले दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन।
- **जीव-जंतु:** बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया, सियार, जंगली बिल्ली, नीलगाय, चौसिंघा, चिंकारा, काला हिरण, सांभर और चित्तीदार हिरण (spotted deer) का समर्थन करता है, जो दक्कन के पठार के विशिष्ट वन्यजीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

बोरोफीन(BOROPHENE)

संदर्भ

भारतीय वैज्ञानिकों ने अरंडी के तेल (कैस्टर ऑयल) में उच्च प्रदर्शन वाले स्नेहक योजक (लुब्रिकेंट एडिटिव) के रूप में बोरोफीन के उपयोग का प्रदर्शन किया है।

बोरोफीन के बारे में

- **प्रकृति:** बोरॉन का एक अपरूप (allotrope) जिसमें बोरॉन परमाणुओं की एकल-परमाणु-मोटी, द्वि-आयामी (2D) शीट होती है।
- **संरचना:** ग्राफीन के विपरीत, बोरोफीन अत्यधिक बहुरूपी (polymorphic) है, जिसकी परमाणु व्यवस्था संश्लेषण की स्थितियों के अनुसार भिन्न होती है।
- **गुणधर्म:** अति-हल्का, लचीला और यंत्रवत् रूप से मजबूत, उच्च विद्युत और तापीय चालकता, धात्विक व्यवहार, उच्च धारिता (कैपेसिटेंस), और दिशा-निर्भर (विषमदैशिक/anisotropic) गुण।

- **अनुप्रयोग:** इसकी उच्च प्रतिक्रियाशीलता और ट्यून करने योग्य (tunable) विशेषताओं के कारण पतली-फिल्म इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स, कैपेसिटर, बायोसेंसर, उत्प्रेरण (catalysis), ऊर्जा भंडारण और सेंसर प्रौद्योगिकियों में उपयोग किया जाता है।
- **स्नेहन:** अरंडी के तेल में 0.1% बोरोफीन मिलाने से घर्षण में ~42% की कमी आई, घिसाव प्रतिरोध और भार वहन क्षमता में सुधार हुआ, और एक सुरक्षात्मक ट्राइबोफिल्म (tribofilm) का निर्माण हुआ जो सतह के घिसाव को कम करता है।
- **ट्राइबोफिल्म:** घर्षण के दौरान संपर्क सतहों पर बनने वाली एक सुरक्षात्मक परत, जो घिसाव और ऊर्जा हानि को कम करती है।

मिशन वात्सल्य

संदर्भ

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) ने लापता और सुभेद्य बच्चों की ट्रैकिंग, पुनर्वास और पुनर्मिलन को सुदृढ़ करने के लिए ट्रैकचाइल्ड (TrackChild) पोर्टल, खोया-पाया (Khoya-Paya) एप्लिकेशन, और घर (GHAR - Go Home and Re-Unite) पोर्टल को मिलाकर एक एकीकृत मिशन वात्सल्य पोर्टल लॉन्च किया है।

मिशन वात्सल्य के बारे में

- **प्रकृति:** देखभाल और सुरक्षा के जरूरतमंद बच्चों (CNCP) और कानून के साथ संघर्षरत बच्चों (CCL) के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना।
- **उद्देश्य:** कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों, जिनमें लापता और सुभेद्य बच्चे शामिल हैं, की देखभाल, सुरक्षा, पुनर्वास और पुनर्मिलन सुनिश्चित करना।
- **नोडल मंत्रालय:** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD)।
- **विधिक ढांचा:** किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत कार्यान्वित, जो संस्थागत और गैर-संस्थागत दोनों तरह की देखभाल प्रदान करता है।
- **निगरानी:** किशोर न्याय (JJ) अधिनियम, 2015 की धारा 55 केंद्र सरकार, राज्य सरकारों या जिला मजिस्ट्रेटों को किशोर न्याय बोर्डों (JJB), बाल कल्याण समितियों (CWC), विशेष किशोर पुलिस इकाइयों (SJPU), पंजीकृत संस्थानों और मान्यता प्राप्त उपयुक्त सुविधाओं/व्यक्तियों के कामकाज का समय-समय पर मूल्यांकन करने का अधिकार देती है।

राष्ट्रीय चंबल अभियारण

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि राष्ट्रीय चंबल अभियारण और उसके आसपास अवैध रेत खनन को सुविधाजनक बनाने वालों के खिलाफ निवारक निरोध (preventive detention) कानून लागू किए जाएं।

राष्ट्रीय चंबल अभियारण के बारे में

- **प्रकृति:** चंबल नदी के किनारे स्थित एक त्रि-राज्य संरक्षित नदी अभयारण्य, जिसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता है।
- **अवस्थिति:** मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के त्रि-संगम पर स्थित है।
- **उद्देश्य:** गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल, रेड-क्राउन रूफ कछुए और लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए स्थापित।
- **जैव विविधता:** घड़ियालों की दुनिया की सबसे बड़ी जंगली आबादी का समर्थन करता है और इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र (IBA) के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- **जीव-जंतु:** मगरमच्छ (mugger crocodile), चिकने-लेपित ऊदबिलाव (smooth-coated otter), धारीदार लकड़बग्घा, भारतीय भेड़िया, भारतीय संकीर्ण सिर वाले सॉफ्टशेल कछुए, तीन-धारीदार रूफ कछुए, मुकुट वाले नदी कछुए, सांभर, नीलगाय, भारतीय चिंकारा, रीसस मकाक (rhesus macaque) और हनुमान लंगूर का घर।

पीएम-यशस्वी (PM-YASASVI) योजना

संदर्भ

भारत सरकार ने पीएम-यशस्वी (प्रधानमंत्री यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया) अम्ब्रेला योजना के माध्यम से शैक्षिक अवसरों के विस्तार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।

पीएम-यशस्वी योजना के बारे में

- **प्रकृति:** अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EBC), और विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों (DNT) से संबंधित छात्रों के लिए एक अम्ब्रेला छात्रवृत्ति योजना।
- **उद्देश्य:** पात्र छात्रों के लिए वित्तीय बाधाओं को कम करना और समावेशी, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग।
- **पात्रता:** ₹2.5 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले OBC, EBC और DNT छात्रों के लिए उपलब्ध।
- **छात्रवृत्ति के घटक:** इसमें चार योजनाएं शामिल हैं—प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, स्कूलों में शीर्ष श्रेणी (Top Class) की शिक्षा, और कॉलेजों में शीर्ष श्रेणी की शिक्षा।
- **कवरेज:** स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक निरंतर पहुंच सक्षम होती है।

मीथेन(METHANE)

संदर्भ

नेचर फूड (Nature Food) में प्रकाशित एक अध्ययन ने भारत के चावल के खेतों (धान के खेतों) को दुनिया के सबसे बड़े मीथेन उत्सर्जन हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना है।

मीथेन के बारे में

- **प्रकृति:** सबसे सरल हाइड्रोकार्बन (CH_4) और प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक।
- **गुणधर्म:** एक रंगहीन, गंधहीन और अत्यधिक ज्वलनशील ग्रीनहाउस गैस।
- **जलवायु प्रभाव:** कार्बन डाइऑक्साइड के बाद मानवजनित (anthropogenic) ग्लोबल वार्मिंग में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता, जिसे अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक (SLCP) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- **ग्लोबल वार्मिंग क्षमता:** 20 साल की अवधि में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में लगभग 84 गुना अधिक शक्तिशाली।
- **वायुमंडलीय जीवनकाल:** टूटने (break down) से पहले लगभग 12 वर्षों तक वायुमंडल में रहता है।
- **भारत की स्थिति:** भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक है, जिसमें कृषि (विशेषकर धान की खेती), पशुधन, अपशिष्ट और ऊर्जा क्षेत्र से बड़ा उत्सर्जन होता है।



मुख्य परीक्षा

भारत में दिव्यांग बच्चों के शैक्षिक समावेशन पर पुनर्विचार

संदर्भ:

यूडीआईएसई+ (UDISE+) 2025-26 की रिपोर्ट से पता चलता है कि केवल 22% दिव्यांग बच्चे स्कूलों में नामांकित हैं, और समावेशी शिक्षा की पहलों के बावजूद नामांकन स्थिर बना हुआ है, जो शैक्षिक समावेशन और प्रतिधारण (retention) में प्रमुख अंतरालों को उजागर करता है।

कल्याण-उन्मुख दिव्यांगता नीतियां मुख्यधारा के स्कूलों को समावेशी संस्थानों में बदलने में क्यों विफल रहीं?

- **अधिकार आधारित ढांचे के बजाय दान/कल्याण ढांचा:** प्रारंभिक दिव्यांगता नीतियों ने शिक्षा को एक अधिकार की हकदारी के बजाय एक कल्याणकारी लाभ के रूप में देखा। परिणामस्वरूप, नीति की सफलता को नामांकन द्वारा मापा गया, जिससे स्कूलों को सार्थक भागीदारी और सीखने के बजाय भौतिक पहुंच को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहन मिला।
 - **उदाहरण:** जबकि शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 ने स्कूल तक पहुंच का विस्तार किया, उचित समायोजन (reasonable accommodation) के मजबूत अधिकार केवल दिव्यांग व्यक्ति अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 के तहत स्थापित किए गए थे।
- **शिक्षाशास्त्र के बिना बुनियादी ढांचा:** चूंकि नीति ने दृश्यमान अनुपालन (visible compliance) पर जोर दिया, इसलिए निवेश समावेशी शिक्षाशास्त्र, सहायक प्रौद्योगिकियों, या सुलभ शिक्षण सामग्री के बजाय रैंप, शौचालय और परिवहन की ओर प्रवाहित हुआ। परिणामस्वरूप, कक्षा की प्रथाओं को बदले बिना स्कूल भौतिक रूप से सुलभ हो गए।
 - **उदाहरण:** 2021 की कैग (CAG) ऑडिट में सर्व शिक्षा अभियान (SSA)/समग्र शिक्षा के तहत रैंप और सुलभ शौचालयों पर पर्याप्त खर्च पाया गया, लेकिन विकलांगों के अनुकूल शिक्षण-अधिगम संसाधनों में सीमित निवेश पाया गया।
- **क्षमता के बिना महत्वाकांक्षा:** समावेशी शिक्षाशास्त्र में बहुत कम निवेश के साथ, यह प्रणाली इसे प्रदान करने के लिए आवश्यक शिक्षक कार्यबल का निर्माण करने में भी विफल रही। प्रशिक्षित शिक्षकों और विशेष शिक्षकों की कमी का मतलब था कि समावेशी शिक्षा कक्षा की वास्तविकता के बजाय एक नीतिगत आकांक्षा बनी रही।
 - **उदाहरण:** सरकारी आंकड़े बताते हैं कि एक विशेष शिक्षक आमतौर पर कई स्कूलों में सेवा देता है, जिससे व्यक्तिगत अनुदेशात्मक (instructional) समर्थन मुश्किल हो जाता है।
- **विविध शिक्षार्थियों पर एक समान प्रणालियां:** निर्देश को अनुकूलित करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों के बिना, मुख्यधारा के स्कूल एक समान शिक्षार्थी के लिए डिज़ाइन किए गए मानकीकृत पाठ्यक्रम, मूल्यांकन और कक्षा प्रथाओं पर निर्भर रहे। परिणामस्वरूप, दिव्यांग बच्चों से यह अपेक्षा की गई कि वे प्रणाली के अनुसार खुद को ढालें, न कि प्रणाली उनके अनुकूल बने।
 - **उदाहरण:** बोर्ड परीक्षाएं अतिरिक्त समय या स्क्राइब (लेखक) जैसी रियायतों के बावजूद काफी हद तक सामान्य प्रश्न पत्र और प्रदर्शन मानकों को बनाए रखती हैं।

- **कमजोर जवाबदेही ने बहिष्करण को बनाए रखा:** चूंकि समावेशन को सीखने के बजाय नामांकन के रूप में देखा गया, इसलिए स्कूलों ने शायद ही कभी दिव्यांग बच्चों की भागीदारी, प्रतिधारण, सीखने के परिणामों या कक्षा के अनुभवों की निगरानी की। लगातार कलंक और सीमित दिव्यांगता-पृथक (disaggregated) परिणाम डेटा के संयोजन से, संस्थागत विफलताएं अदृश्य रहीं और क्रमिक सुधारों ने उसी इनपुट-केंद्रित दृष्टिकोण को दोहराया।
 - **उदाहरण:** UDISE+ दिव्यांग बच्चों के नामांकन को दर्ज करता है, लेकिन इसमें सीखने के परिणामों और प्रतिधारण की दिव्यांगता-विशिष्ट ट्रेकिंग सीमित है।

दिव्यांगता समावेशन को सामाजिक कल्याण के बजाय मानव पूंजी निर्माण के रूप में क्यों देखा जाना चाहिए?

- **क्षमता विस्तार:** सामाजिक कल्याण मुख्य रूप से जीवन स्तर के न्यूनतम मानक को सुरक्षित करता है, जबकि मानव पूंजी निवेश लोगों की क्षमताओं, एजेंसी और अवसरों का विस्तार करता है। इसलिए दिव्यांगता समावेशन नीति को केवल जीवन निर्वाह करने से हटाकर व्यक्तियों को उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने में सक्षम बनाने की ओर ले जाया जाता है।
 - **उदाहरण:** अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण (Capability Approach) विकास को लोगों की स्वतंत्रता के विस्तार के रूप में परिभाषित करता है, न कि केवल आय समर्थन प्रदान करने के रूप में।
- **क्षमता का आधार (Capability floor):** चूंकि दिव्यांगता स्वास्थ्य देखभाल, देखभाल (caregiving), गतिशीलता और सहायक उपकरणों की अतिरिक्त लागत लगाती है, इसलिए सामाजिक सुरक्षा क्षमता निर्माण का आधार बनी हुई है। हालांकि, कल्याण केवल तभी स्थायी प्रतिफल (returns) उत्पन्न करता है जब इसे शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल में निवेश द्वारा पूरक किया जाता है।
 - **उदाहरण:** राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत दिव्यांगता पेंशन आय सुरक्षा प्रदान करती है लेकिन इन्हें शायद ही कभी समावेशी शिक्षा या कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ एकीकृत किया जाता है।
- **मानव पूंजी निर्माण:** चूंकि कल्याण अकेले रोजगार सृजन नहीं कर सकता, इसलिए इसका विकासात्मक प्रतिफल समावेशी शिक्षा, सुलभ प्रौद्योगिकी और कौशल विकास पर निर्भर करता है जो क्षमताओं को उत्पादक मानव पूंजी में परिवर्तित करते हैं।
 - **उदाहरण:** उच्च शिक्षा पूरी करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों का कम अनुपात अक्षमता के बजाय समावेशी क्षमता निर्माण में कम निवेश को दर्शाता है।
- **सुलभ अवसर:** यहां तक कि जब समावेशी शिक्षा कुशल व्यक्तियों का निर्माण करती है, तब भी प्रतिफल अप्राप्त रहते हैं जब तक कि श्रम बाजार उचित समायोजन और बाधा मुक्त कार्यस्थल प्रदान न करें। इसलिए, मानव पूंजी तभी मूल्य सृजित करती है जब अवसर समान रूप से सुलभ हों।
 - **उदाहरण:** हालांकि RPwD अधिनियम, 2016 उचित समायोजन को अनिवार्य करता है, फिर भी दिव्यांग व्यक्तियों के बीच श्रम-बल की भागीदारी राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे बनी हुई है।
- **राष्ट्रीय लाभांश:** जब क्षमता निर्माण और सुलभ रोजगार एक-दूसरे को सुदृढ़ करते हैं, तो दिव्यांगता समावेशन श्रम-बल की भागीदारी, नवाचार और उत्पादकता का विस्तार करता है, जिससे कल्याणकारी व्यय दीर्घकालिक आर्थिक और सामाजिक प्रतिफल में परिवर्तित हो जाता है।

- **उदाहरण:** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) और विश्व बैंक के अनुमान बताते हैं कि दिव्यांग व्यक्तियों के बहिष्करण से अर्थव्यवस्थाओं को प्रतिवर्ष जीडीपी (GDP) के कई प्रतिशत अंकों का नुकसान होता है।

दिव्यांगता भारत में शिक्षा में लैंगिक असमानता को कैसे नया रूप देती है?

- **प्रतिच्छेदी (Intersectional) बहिष्करण:** जेंडर और दिव्यांगता एक-दूसरे को सुदृढ़ करते हैं, जबकि गरीबी, ग्रामीण परिवेश और जाति अक्सर इन नुकसानों को और गहरा करते हैं। परिणामस्वरूप, दिव्यांग लड़कियों को स्कूल में प्रवेश करने और बने रहने में सबसे बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
 - **उदाहरण:** UNCRPD का अनुच्छेद 6 यह स्वीकार करता है कि दिव्यांग महिलाओं और लड़कियों को कई प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
- **नीतिगत अभिसरण का अभाव:** चूंकि जेंडर और दिव्यांगता नीतियां काफी हद तक अलग-थलग (silos) काम करती हैं, इसलिए दिव्यांग लड़कियों की प्रतिच्छेदी जरूरतें अपर्याप्त रूप से संबोधित रह जाती हैं। यह संस्थागत विखंडन शिक्षा प्रणाली में पहुंच, सुरक्षा और समावेशन की बाधाओं को निरंतर बनाए रखता है।
 - **उदाहरण:** जेंडर-केंद्रित योजनाएं अक्सर सक्षम-शरीर वाली लड़कियों को मानकर चलती हैं, जबकि दिव्यांगता कार्यक्रमों में शायद ही कभी मासिक धर्म स्वच्छता या सुरक्षा जैसी जेंडर-विशिष्ट आवश्यकताओं को शामिल किया जाता है।
- **संस्थागत सुभेद्यता:** चूंकि कोई भी एकल नीति ढांचा उनकी प्रतिच्छेदी जरूरतों को संबोधित नहीं करता है, इसलिए दिव्यांग लड़कियों को असुरक्षित यात्रा, हिंसा, दुर्गम शिकायत तंत्र और अपर्याप्त देखभाल समर्थन से संबंधित अधिक जोखिमों का सामना करना पड़ता है। परिणामस्वरूप, परिवारों द्वारा उनके नामांकन में देरी करने या उन्हें स्कूल से वापस बुलाने की अधिक संभावना होती है।
 - **उदाहरण:** अध्ययन लगातार सुरक्षा, गतिशीलता और संस्थागत समर्थन की कमी को दिव्यांग लड़कों की तुलना में दिव्यांग लड़कियों के लिए अधिक बड़ी बाधाओं के रूप में पहचानते हैं।
- **गरिमा के बिना बुनियादी ढांचा:** नामांकित होने पर भी, दुर्गम WASH (जल, स्वच्छता और साफ-सफाई) सुविधाएं, खराब मासिक धर्म स्वच्छता समर्थन, और अपर्याप्त भौतिक पहुंच उपस्थिति को कम करती हैं और किशोरावस्था के दौरान ड्रॉपआउट (स्कूल छोड़ना) को बढ़ाती हैं। इस प्रकार, यौवन (puberty) शैक्षिक बहिष्करण का एक निर्णायक बिंदु बन जाता है।
 - **उदाहरण:** समग्र शिक्षा ऑडिट लगातार दिव्यांग किशोर लड़कियों को प्रभावित करने वाले सुलभ WASH बुनियादी ढांचे में अंतराल की रिपोर्ट करते हैं।
- **संचयी क्षमता हानि:** बाधित स्कूली शिक्षा उच्च शिक्षा में भागीदारी, कौशल निर्माण और औपचारिक रोजगार के अवसरों को कमजोर करती है, जिससे शैक्षिक नुकसान आजीवन सामाजिक-आर्थिक बहिष्करण में बदल जाता है।
 - **उदाहरण:** आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) लगातार दिव्यांग पुरुषों की तुलना में दिव्यांग महिलाओं के बीच श्रम-बल भागीदारी काफी कम होने की रिपोर्ट करता है।

बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड की तुलना में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक दिव्यांग बच्चों का बेहतर शैक्षिक समावेशन क्यों हासिल करते हैं?

- **विकासात्मक राज्य क्षमता:** दक्षिणी राज्यों ने ऐतिहासिक रूप से मजबूत सार्वजनिक संस्थानों के निर्माण के लिए मजबूत राजकोषीय प्रतिबद्धता, प्रशासनिक निरंतरता और सामाजिक-क्षेत्र की प्राथमिकता को संयोजित किया है। इस दीर्घकालिक राज्य क्षमता ने बुनियादी स्कूली शिक्षा से परे दिव्यांगता समावेशन की नींव रखी।
 - **उदाहरण:** केरल लगातार बिहार की तुलना में शिक्षा और मानव विकास में उच्च सार्वजनिक निवेश दर्ज करता है।
- **प्रारंभिक हस्तक्षेप पारिस्थितिकी तंत्र:** चूंकि विकासात्मक राज्य क्षमता ने निवारक स्वास्थ्य देखभाल और प्रारंभिक बचपन की सेवाओं को प्राथमिकता दी, इसलिए दक्षिणी राज्यों ने मजबूत PHC-आंगनवाड़ी-DEIC नेटवर्क बनाए जो स्कूल में प्रवेश से पहले विकासात्मक देरी की पहचान करते हैं। प्रारंभिक निदान, चिकित्सा और सहायक सहायता स्कूल की तैयारी में सुधार करती है और बाद के शैक्षिक बहिष्करण को कम करती है।
 - **उदाहरण:** केरल और तमिलनाडु में RBSK-समर्थित जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र (DEIC) विकासात्मक देरी के प्रारंभिक प्रबंधन को सक्षम करते हैं।
- **विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन:** चूंकि प्रारंभिक पहचान से निरंतर समर्थन की आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं, इसलिए सशक्त पंचायतें, स्थानीय निकाय और सामुदायिक संस्थान परिवहन, सहायक उपकरण, परिवार आउटरीच और स्कूल समर्थन का समन्वय करते हैं। यह समावेशी शिक्षा सेवाओं की अंतिम-छोर (last-mile) तक डिलीवरी को मजबूत करता है।
 - **उदाहरण:** केरल की स्थानीय स्व-सरकारें (LSG) विकेंद्रीकृत सेवा वितरण के माध्यम से समावेशी शिक्षा का समर्थन करने में सक्रिय भूमिका निभाती हैं।
- **विश्वसनीय पहचान प्रणालियां:** चूंकि विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन स्थानीय सेवा वितरण में सुधार करता है, इसलिए दिव्यांगता प्रमाणन, UDID नामांकन और स्कूल-स्तरीय ट्रेकिंग अधिक व्यापक हो जाती है। परिणामस्वरूप, दिव्यांग बच्चों की पहचान जल्दी हो जाती है और उन्हें शैक्षिक सहायता से जोड़ा जाता है, जबकि कमजोर प्रणालियां अक्सर कम दिव्यांगता प्रसार के बजाय सांख्यिकीय अदृश्यता (statistical invisibility) उत्पन्न करती हैं।
 - **उदाहरण:** उच्च UDID पहुंच और अधिक संपूर्ण UDISE+ दिव्यांगता मैपिंग दक्षिणी राज्यों में योजना निर्माण में सुधार करती है।
- **सतत शैक्षिक समावेशन:** जब प्रारंभिक हस्तक्षेप, विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन और विश्वसनीय पहचान एक-दूसरे को सुदृढ़ करते हैं, तो दिव्यांग बच्चों के स्कूल में बने रहने, माध्यमिक शिक्षा पूरी करने, और उच्च शिक्षा तथा रोजगार की ओर संक्रमण करने की अधिक संभावना होती है। इस प्रकार, राज्य क्षमता में प्रारंभिक अंतर दीर्घकालिक शैक्षिक परिणामों में तब्दील होकर व्यापक हो जाते हैं।
 - **उदाहरण:** NSSO/जनगणना के अनुमान बिहार और उत्तर प्रदेश की तुलना में केरल और तमिलनाडु में दिव्यांग व्यक्तियों के बीच काफी उच्च शैक्षिक प्राप्ति (educational attainment) दर्शाते हैं।